

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.02.2017 से हरियाणा विभाग सभा का अधिवेशन आरम्भ होने जा रहा है इसलिए विभाग से सम्बन्धित विधान सभा से प्रश्न भी प्राप्त होंगे। श्री अनुपम मलिक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, श्रम विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिनका दूरभाष नं० 2724367 तथा मोबाईल न०. 09815379933 है। मुख्यालय के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके अनुभागों से सम्बन्धित जो भी विधान सभा प्रश्न प्राप्त हों, उनका जो उत्तर भेजा जाये, उसकी सूचना नोडल अधिकारी को तुरन्त दें।

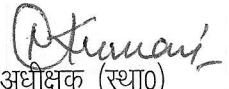
दिनांक: 22-2-17

पंकज अग्रवाल
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: स्था०/०३/२०१७/

दिनांक:

एक प्रति मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।


उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: स्था०/०३/२०१७/८५१२-१५

दिनांक: २२/२/१७

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है:-

1. निजी सचिव, माननीय श्रम राज्य मन्त्री हरियाणा सरकार।
2. निजी सचिव, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, हरियाणा।


उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

कार्यालय आदेश

विधान सभा का अधिवेशन दिनांक 27.02.2017 को दोपहर बाद 2 बजे आरम्भ होने जा रहा है। आदेश दिये जाते हैं कि विधान सभा अधिवेशन की अवधि के दौरान शाखा इन्चार्ज कृपया सुनिश्चित करें कि वे उनके अधीन कार्य कर रहे किसी भी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत न करें और न ही स्वयं अवकाश लेवें तथा मुख्यालय पर उपस्थित रहें।

इसलिये निर्देश दिये जाते हैं कि सभी अधिकारी/कर्मचारी विधानसभा सत्र के दौरान अपनी-अपनी सीटों पर उपलब्ध रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तिथिबद्ध/आवश्यक कार्य के निपटाने में किसी भी प्रकार की असुविधा व बाधा उत्पन्न न हो। देरी से आने वाले/अपनी सीटों पर उपस्थित ना पाये जाने वाले, कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक: 22-2-17

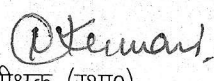
पंकज अग्रवाल
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक:—स्था0/03/2017/ 5415-38

दिनांक: 22/2/17

एक प्रति निम्नलिखित को उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना हेतु भेजी जाती है:—

1. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
2. सभी उप अधीक्षक।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त हरियाणा।


उप अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर), गुड़गांव ।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
3. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
5. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमीकल), हरियाणा राज्य ।
8. आई.टी. सैल (मुख्यालय) को विभाग की साईट पर अपलोड करने बारे ।

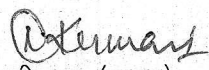
क्रमांक: /स्था0/03/2017/ 5539-5518
 दिनांक : 22/2/18

विषय : **हरियाणा विधान सभा अधिवेशन ।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन दिनांक 27.02.2017 को शुरू हो रहा है ।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि विधान सभा अधिवेशन के दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारी न ही अवकाश पर ओर न ही दौरे पर जायेंगे। इस दौरान वे सभी अपने मुख्यालय पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने कार्यालय में दूरभाष पर किसी जिम्मेवार कर्मचारी की दिनांक 27.02.2017 से 15.03.2017 तक रात्रि 9:00 बजे तक ड्यूटी लगायें तथा इस बारे मुख्यालय को भी सूचित करें। सभी उप श्रम आयुक्त/उप निदेशक, औ0सु0 एवं स्वा0 से ये अनुरोध है कि वे भी अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके बारे में अपने स्तर पर भी सूचित करते हुये अनुपालना सुनिश्चित करें।


 उप अधीक्षक (स्था0)
 कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

कार्यालय आदेश

हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन दिनांक 27.02.2017 को दोपहर 2 बजे से आरम्भ हो रहा है निम्नलिखित अधिकारी अपने-2 नामों के सामने अंकित तिथियों को विधान सभा जायेंगे तथा श्रम विभाग से सम्बन्धित जो भी चर्चा होगी उसकी रिपोर्ट उसी दिन श्रम आयुक्त को लिखित रूप में देने के साथ-2 व्यक्तिगत रूप से भी बताएंगे ताकि सूचना उसी दिन प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग को भेजी जा सकें-

तिथि	अधिकारी का नाम
27.02.2017	श्री अरविन्द गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, औ०सु० एवं स्वा०, मुख्यालय
28.02.2017	श्रीमति सुमन कुण्डू, संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय
01.03.2017	श्री रोहित बेरी, सहायक निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०
02.03.2017	श्री नरेन्द्र बंसल, लेखा अधिकारी, मुख्यालय
03.03.2017	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, उप जिला न्यायवादी, मुख्यालय
04.03.2017	श्री सुरेन्द्र सुहाग, उप निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, मुख्यालय
05.03.2017	श्री अरविन्द गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, औ०सु० एवं स्वा०, मुख्यालय
06.03.2017	श्रीमति सुमन कुण्डू, संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय
07.03.2017	श्री रोहित बेरी, सहायक निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०
08.03.2017	श्री नरेन्द्र बंसल, लेखा अधिकारी, मुख्यालय
09.03.2017	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, उप जिला न्यायवादी, मुख्यालय
10.03.2017	श्री सुरेन्द्र सुहाग, उप निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०, मुख्यालय
11.03.2017	श्री अरविन्द गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, औ०सु० एवं स्वा०, मुख्यालय
12.03.2017	श्रीमति सुमन कुण्डू, संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय
13.03.2017	श्री रोहित बेरी, सहायक निदेशक, औ० सु० एवं स्वा०
14.03.2017	श्री नरेन्द्र बंसल, लेखा अधिकारी, मुख्यालय
15.03.2017	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, उप जिला न्यायवादी, मुख्यालय

दिनांक: 22.2.17

पंकज अग्रवाल
श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक स्था०/03/2017/5519-34

दिनांक: 22/2/17

एक प्रति मुख्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है ।

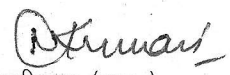

उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

पृ० क्रमांक स्था०/03/2017/5538-36

दिनांक: 22/2/17

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ की जाती है :-

1. निजी सचिव, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग ।
2. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, हरियाणा ।


उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

कार्यालय आदेश

हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन दिनांक 27.02.2017 से बाद दोपहर 2 बजे से आरम्भ हो रहा है। निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने नामों के सामने अंकित तिथियों को वर्णित समयानुसार कार्यालय में ड्यूटी पर रहेंगे :—

दिनांक व समय	अधिकारी का नाम	आशुलिपिक / वरिष्ठ-कनिष्ठ आशुलिपिकों / लिपिकों के नाम
27.02.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्री अरविन्द गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, औ0सु0 एवं स्वा0, मुख्यालय	गौरव
28.02.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्रीमति सुमन कुण्डू, संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय	राकेश
01.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्री रोहित बेरी, सहायक निदेशक, औ0 सु0 एवं स्वा0	योगेश
02.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्री नरेन्द्र बंसल, लेखा अधिकारी, मुख्यालय	सुशीला
03.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, उप जिला न्यायवादी, मुख्यालय	दिलबाग सिंह
04.03.2017 सुबह 9:00 बजे से सांय 5-00 बजे तक	श्री सुरेन्द्र सुहाग, उप निदेशक, औ0 सु0 एवं स्वा0, मुख्यालय	ज्योति
05.03.2017 सुबह 9:00 बजे से सांय 5-00 बजे तक	श्री अरविन्द गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, औ0सु0 एवं स्वा0, मुख्यालय	परमिन्द्र कौर
06.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्रीमति सुमन कुण्डू, संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय	शशि बाला
07.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्री रोहित बेरी, सहायक निदेशक, औ0 सु0 एवं स्वा0	रतन
08.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्री नरेन्द्र बंसल, लेखा अधिकारी, मुख्यालय	नरेन्द्र कुमार
09.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, उप जिला न्यायवादी, मुख्यालय	बिक्रम सिंह
10.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्री सुरेन्द्र सुहाग, उप निदेशक, औ0 सु0 एवं स्वा0, मुख्यालय	सुन्दर लाल
11.03.2017 सुबह 9:00 बजे से सांय 5-00 बजे तक	श्री अरविन्द गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, औ0सु0 एवं स्वा0, मुख्यालय	दीपशिखा सैणी
12.03.2017 सुबह 9:00 बजे से सांय 5-00 बजे तक	श्री रोहित बेरी, सहायक निदेशक, औ0 सु0 एवं स्वा0	नीतू
13.03.2017 सुबह 9:00 बजे से सांय 5-00 बजे तक	श्री नरेन्द्र बंसल, लेखा अधिकारी, मुख्यालय	मीना कुमारी
14.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्री हरीश चन्द्र शर्मा, उप जिला न्यायवादी, मुख्यालय	अशोक कुमार (कारखाना अनुभाग)
15.03.2017 सांय 5-00 बजे से 8-00 बजे तक	श्रीमति सुमन कुण्डू, संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय	नितेश कुमार

दिनांक: 22-2-17

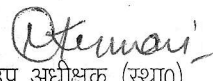
पंकज अग्रवाल
श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक: स्था0/03/2017/5537-70

दिनांक: 22/2/17

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जाती है:—

1. मुख्यालय के सभी अधिकारी
2. सभी मुख्य सहायक/मुख्य आंकड़ा सहायक
3. सभी सम्बन्धित कर्मचारी

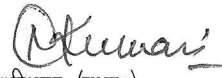

 उप अधीक्षक (स्था0)
 कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक: स्था0/03/2017/ 5571-72

दिनांक: 22/2/17

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है:-

1. निजी सचिव, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग ।
2. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, हरियाणा ।



उप अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

कार्यालय आदेश

हरियाणा विधानसभा का बजट अधिवेशन दिनांक 27.02.2017 से आरम्भ होने जा रहा है, निम्नलिखित कर्मचारी विधानसभा के दौरान उनके नामों के समाने दर्शाई गई तिथियों को कार्यालय में सांय 5:00 बजे से 8:00 बजे तक ड्यूटी देंगे तथा ये कर्मचारी अतिरिक्त श्रम आयुक्त के कार्यालय कक्ष में बैठेंगे, ताकि आवश्यकता पढ़ने पर अधिकारियों से दूरभाष पर सम्पर्क करके समय पर सूचना भेजी जा सकें।

इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों की ड्यूटी राजपत्रित अवकाश के दिन है वह प्रातः 9:00 से सांय 5:00 बजे तक ड्यूटी देंगे।

तिथि	कर्मचारी का नाम तथा पद सर्वश्री / श्रीमति / कुमारी	सेवादार का नाम सर्वश्री
27.02.2017	राजविन्द्र रानी, आंकड़ा सहायक	राम अवतार
28.02.2017	विनीत, सहायक	राम शरण
01.03.2017	प्रवीण कुमार, रीडर	रजित राम
02.03.2017	सूरजमल, सहायक	बलदेव सिंह
03.03.2017	प्रभुदयाल, सहायक	सोहन लाल
04.03.2017	संजीव कुमार, रीडर	पाला राम
05.03.2017	महेश, सहायक	संदीप कुमार
06.03.2017	पवन कुमार, रीडर	अशोक कुमार
07.03.2017	रूपलता, रीडर	विकुल
08.03.2017	चरणजीत सिंह, सहायक	राम मेहर
09.03.2017	विकास, आंकड़ा सहायक	अर्जुन सिंह
10.03.2017	कपिल देव, आंकड़ा सहायक	सतबीर
11.03.2017	ज्वाला सिंह, सहायक	धर्म सिंह
12.03.2017	सूरजमल, सहायक	बलदेव सिंह
13.03.2017	विनीत, सहायक	अर्जुन सिंह
14.03.2017	प्रवीण कुमार, रीडर	कुलदीप
15.03.2017	लालप्रीत सिंह, सहायक	सुरेश

* उपरोक्त कर्मचारी ड्यूटी समाप्त होने पर नोडल अधिकारी की अनुमति से ही कार्यालय छोड़ेंगे।

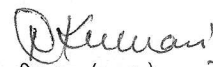
दिनांक: 22-2-17

पंकज अग्रवाल
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृ० क्रमांक स्था०/०३/२०१७/५५२२-५६२७ दिनांक : २२/२/१७

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

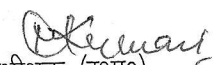
1. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
2. सभी मुख्य सहायक/मुख्य आंकड़ा सहायक।
3. सभी सम्बन्धित कर्मचारी।


उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।
दिनांक : २२/२/१७

पृ० क्रमांक स्था०/०३/२०१७/५६२८-२९

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. निजी सचिव, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।
2. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, हरियाणा।


उप अधीक्षक (स्था०)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

कार्यालय आदेश

हरियाणा विधानसभा का बजट अधिवेशन दिनांक 27.02.2017 से 15.03.2017 तक होना प्रस्तावित है, निम्नलिखित चालक विधानसभा के दौरान उनके नामों के समाने दर्शाई गई तिथियों को कार्यालय में सांय 5:00 बजे से 8:00 बजे तक ड्यूटी देंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिन चालकों की ड्यूटी राजपत्रित अवकाश के दिन है वह प्रातः 9:00 से सांय 5:00 बजे तक ड्यूटी देंगे।

तिथि	चालक का नाम व सर्वश्री
27.02.2017 से 01.03.2017	सुनील
02.03.2017 से 04.03.2017	देवेन्द्र सिंह
05.03.2017 से 07.03.2017	राम पाल
08.03.2017 से 10.03.2017	महीपाल
11.03.2017 से 13.03.2017	कृष्ण
14.03.2017 से 15.03.2017	तरसेम

* उपरोक्त कर्मचारी ड्यूटी समाप्त होने पर नोडल अधिकारी की अनुमति से ही कार्यालय छोड़ेंगे।

दिनांक: 22.02.17

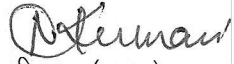
पंकज अग्रवाल
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था0/03/2017/5630-53

दिनांक: 22/2/17

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. मुख्यालय पर कार्यरत सभी अधिकारी।
2. संबंधित चालक।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त।
4. कार्यालय आदेश फाईल।


उप अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।